प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष ।
2. हरियाणा राज्य के सभी मण्डलों के आयुक्त ।
3. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 18 अगस्त, 1993 ।

विषय :--विभागीय फार्मों के सरलीकरण बारे ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 1/2/91--आर.यू., दिनांक 27-6-91 तथा तत्पश्चात जारी किए गए समसंख्यक स्मरण पत्रों दिनांक 29-1-92, 6-1-93 तथा 10-3-93 की ओर दिलाऊं जिन द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि प्रत्येक विभाग/संगठन में कम से कम 3 अधिकारियों की एक कमेटी वर्तमान विभागीय फार्म का संशोधन/सरलीकरण करने हेतू बनाई जाए । यह भी अनुरोध किया गया था कि विभागीय फार्मों का एक सैट प्रशासकीय सुधार विभाग को भी अध्ययन हेतु भेजा जाए ।

2. उपरोक्त हिदायतों के बावजूद यह भी पाया गया है कि हाशिए में लिखित कुछ विभागों के अलावा, इस मामले में अन्य विभागों द्वारा कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई तथा बार-2 स्मरण पत्र जारी करने के पश्चात भी इस मामले को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है ।

3. इस बारे में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 4-7-91 को वित्तायुक्त एवं प्रशासकीय सचिवों की एक मीटिंग माननीय मुख्य मन्त्री हरियाणा की अध्यक्षता में हुई थी जिसमें यह निर्णय भी लिया गया था कि सभी विभागों के फार्मों का परम अग्रता के आधार पर सरलीकरण किया जाए तथा इस कार्य का उत्तरदायित्व प्रशासकीय सुधार विभाग को सौंपा गया था । जैसा कि आपको विदित ही है कि विभागों में बहुत से ऐसे फार्मज, रजिस्टर, स्टेटमैंटस तथा रिटर्नज लागू हैं जिनमें से बहुत का महत्व समाप्त हो चुका है तथा कुछ में बदली हुई परिस्थितियों के फलस्वरूप सुधार की आवश्यकता है । ऐसा किए जाने से एक तो कार्य में समय की बचत होगी तथा दूसरे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में वित्तीय लाभ भी होंगे । इसके अतिरिक्त आप लोगों को भी पेचिदा फार्मों के प्रयोग से राहत मिलेगी ।

4. अत: उपरोक्त वर्णित स्थिति को सम्मुख रखते हुए आपसे पुन: अनुरोध किया जाता है कि पूर्व निदेशानुसार निम्नलिखित उद्देश्यों को मध्य नजर रखते हुए अधिकारियों की विभागीय कमेटी का तत्काल गठन किया जाए :--

क. (1) वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे पुराने एवं प्रयोग में न आने वाले विभागीय फार्म (स्टैचूटरी फार्मों के अतिरिक्त) स्टेटमैंटस, रिटर्नज आदि को समाप्त करना ।

(2) इनके डिजाईन तथा ले-आउट को सुव्यवस्थित करना तथा सुविधाजनक बनाना ।

(3) दो या दो से अधिक फार्मों का जहां सम्भव हो एक फार्म बनाना इत्यादि ।

ख. (1) वर्तमान विभागीय आवश्यकता तथा लोक सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए फार्मों का प्रारूप तैयार करना ।

5. कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए तथा इसकी पावती भेजी जाए ।

भवदीय,

(के0 एल0 शर्मा)
अनुसंधान अधिकारी (आर0 यू0)
कृते: वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग ।